

>

Title: Regarding an explanatory statement showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Ordinance, 2014 (No. 1 of 2014).

HON. SPEAKER: Now, Item No. 10.

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) :** अध्यक्ष जी, मैं अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 1) की प्रख्यापना द्वारा तत्काल विधान के लिए कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

â€|(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप चर्चा नहीं चाहते हैं, इसलिए हल्ला कर रहे हैं।

â€|(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आज विचार करूंगी। आपको चर्चा दे दूँगी।

â€|(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैं मना नहीं कर रही हूँ। आपको आज या कल चर्चा दे दूँगी।

â€|(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आज थोड़ा काम हो जाने दो, आपको चर्चा दे दूँगी। मैंने कहा है कि आपको चर्चा दे दूँगी, आप अपनी सीट पर वापिस जाइए।

â€|(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप चर्चा नहीं चाहते हैं, केवल हल्ला चाहते हैं, तो हल्ला करो।

मिस्टर अहलुवालिया जी, आप बोलिए।

â€|(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप सभी मिल कर तय कीजिए, मैं चर्चा दे दूँगी। जैसा बीएसी में तय हुआ है, वैसे ही करेंगे।

â€|(व्यवधान)